set up to suggest measures for integrating physical education and sport as part of training process at all stages of education.

(ii) General fitness among children of 8-14 years is brought about through Bharatiyam programmes by providing training in various disciplines like Gymnastics, Yoga, Acrobatic, Callisthenic movements through traditional and non-traditional activities.

(iii) Identification and development of sportspersons under various Schemes of Govt. of India and Sports Authority of India (SAI) by adopting the children under the Schemes of National Sports Talent Contest (NSTC), Sports Promotion Development Area (SPDA), Army Boys Sports Company (ABSC), Sports Hostels Special Area Games (SAG), etc. Nurturing of Sports talent includes proper nutrition, training facilities and Sports Science back-up among other things.

(iv) Proven talents in various sports disciplines attend coaching camps where the emphasis is given on aspects of proper diet, scientific training including physical conditioning.

गुजरात से निरक्षरता उन्मूलन

719. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में निकट भविष्य में 85 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कतिपय विशेष योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और आरंभिक कक्षाओं के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) सरकार गुजरात में निरक्षरता-उन्मूलन के लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा करने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग, में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित कर ली जाएगी तथा कुछ समय पश्चात भेज दी जाएगी।

तथापि, प्रौढ़ साक्षरता के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से वर्ष 1997 के अन्त तक जिलों में 15–35 आयु वर्ग के निरक्षरों को शामिल करने के लिए एक प्रस्तावित योजना तैयार करें।

गुजरात में स्कूल-जाने योग्य आयु के बच्चे

720. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में स्कूल जाने योग्य आयु के बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर बच्चे शिक्षा पाने के अधिकार और स्कूलों में जाने के अवसरों से वंचित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) गुजरात राज्य में 30 सितम्बर, 1991 तक प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्तरों पर कुल नामांकन क्रमशः 58.41 लाख तथा 19.41 लाख था।